झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

राज्य के प्रारम्भिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक एवं उर्दू सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति की पात्रता की जाँच हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होनेवाले अभ्यर्थियों के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 20/2013

(क) एतद् द्वारा परिषद् की विज्ञप्ति संख्या– 95/2012 के आलोक में सहायक शिक्षक एवं उर्दू सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति की पात्रता की जाँच हेतु आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले विकलांग अभ्यर्थी, यथा दृष्टिहीनता या शारीरिक रूप से विकलांग या Spastic हैं, को सूचित किया जाता है कि वे यथाशीघ्र अपने जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी से सम्पर्क कर निम्नांकित शर्त्तों के अधीन श्रुति लेखक (Scribe) प्राप्त कर सकते हैं।

1)ऐसे अभ्यर्थी अपनी विकलांगता के संबंध में सिविल सर्जन/जिला शल्य चिकित्सा पदाधिकारी से प्राप्त विकलांगता का प्रमाण पत्र एवम् आवेदन संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे।

2)प्राप्त आवेदन के आधार पर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी विकलांगता से संबंधित प्रमाण पत्र के आधार पर नियमानुसार अनुमान्य होने की स्थित में अधिकतम वर्ग नवम् में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त वर्ग के विद्यार्थी को श्रुति लेखन हेतु उन्हें अधिकृत करेंगे और उसका अनुमोदन परिषद् कार्यालय से प्राप्त कर लेंगे।

(ख) शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित निम्नांकित केन्द्रों के नाम में टंकण भूल होने के कारण उसे संशोधित रूप में निम्नवत् पढ़ा जाय।

त्रुटिपूर्ण परीक्षा केन्द्र का नाम	संशोधित नाम
A.R.S.Public School, Sector-I, Bokaro	A.R.S.Public School, L.H.Bokaro
St. Xavier Public School, L.H.Bokaro	St. Xavier Public School, Sector-I B.S.City, Bokaro

(ग) शिक्षक पात्रता परीक्षा के ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा का कोड अंकित नहीं है, वांछित प्राप्तांक या डिग्री/डिप्लोमा नहीं है तथा जिन्होंने अपना पता अंकित नहीं किया है या अन्य किसी न किसी रूप में त्रुटिपूर्ण आवेदन प्राप्त हुआ है, का आवेदन रद्द कर दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थी को परिषद् में अनावश्यक रूप से आने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा प्रवेश पत्र में उनके नाम में त्रुटि होने की सूचना दी गई है अथवा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के लिए अलग–अलग परीक्षा केन्द्र होने के संबंध में दिनांक 15.04.2013 तक उक्त की शुद्धि हेतु आवेदन दिया है, वे अपना प्रवेश पत्र परिषद् के वेबसाइट से दिनांक 18.04.2013 से शुद्ध रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे शुद्ध प्रवेश पत्र के क्रमांक ही मान्य होंगे।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./-
संयुक्त सचिव ।,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/PTR/20210/12/SECY/170/13,
Dt. - 17.04.13
D.O.P. - 18.04.13